



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276293
CG-DL-E-17092026-276293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4907]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948

No. 4907]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5098(अ).— सं. का. आ. 2701(अ) तारीख 29 मई, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), जारी सं. 2608 में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में पृष्ठ 2 में, पंक्ति 7 में, “0.35” के स्थान पर, “0.18” पढ़ा जाए ।

[फा. सं. एस-35025/19/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव